न्यायालय सहायक जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 2019 / 23

1. मंगलाराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र सोन्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. दौलतराम पुत्र सोन्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. कन्हैयालाल पुत्र सोन्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. रामदयाल पुत्र सोन्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. मुन्नी देवी पत्नि सोन्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. प्रभातीलाल पुत्र पांचू जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. गोपाल पुत्र पांचू जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. ताराचंद पुत्र पांचू जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. बंशी पुत्र पांचू जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा अशोक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय

दिनांक 7/9/2020

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 79 में वर्णित खसरा नंबर 221 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 542 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 543 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 544 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 548 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 549 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 550 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 551 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 552 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 566 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 568 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 569 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 570 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 571 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 574 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 576 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 577 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 578 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 579 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 595 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 596 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 718 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 719 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 720 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 31 कुल रकबा 9.22 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का हिस्सा 1/3 तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 199 में वर्णित खसरा नंबर 586 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का हिस्सा 1/3 दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा मौके पर हिस्सेनुसार आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा कर विभाजित की हुई है। लेकिन उक्त बंटवारा विधिवत नही है इसलिए भूमि विवादग्रस्त का विधिवत विभाजन करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ओरेंज रंग से दर्शित स्थान पर वादी एवं पीले रंग से दर्शित स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तथा [illegible] रंग से दर्शित स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 काबिज काश्त है उसी [illegible] प्रकार अपने

सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

हकपूर्वाधिकारियों के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि में से खसरा नंबर 571 पर मकान बना रखे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उसके हिस्से की भूमि में से 570 पर तीन–चार मकान बना रखे है। खसरा नंबर 718 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा निर्मित कुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 ने अपने हिस्से की भूमि में से खसरा नंबर 550 व 569 में दो मकान व खसरा नंबर 720 में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 द्वारा निर्मित कुआ है। खसरा नंबर 517 व 549 में पक्षकारान् के हकपूर्वाधिकारी द्वारा निर्मित कुआ है। वादी का उपरोक्त वर्णित भूमियों में जो हिस्सा अंकित है। उसका कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर होता है। वादी वर्तमान में खसरा नंबर 221 रकबा 0.10 हैक्टेयर हिस्सा 1/3 रकबा 0.033 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.14 हैक्टेयर हिस्सा 1/3 रकबा 0.037 हैक्टेयर, खसरा नंबर 719 रकबा 0.31 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 563 रकबा 0.42 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 596 रकबा 0.50 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 571 रकबा 0.74 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 575 रकबा 0.36 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 576 रकबा 0.10 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 578 रकबा 0.23 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 543 रकबा 0.28 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा नंबर 549 रकबा 0.05 हैक्टेयर हिस्सा 1/3 रकबा 0.016 हैक्टेयर, खसरा नंबर 544 रकबा 0.22 हैक्टेयर हिस्सा 1/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 548 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 548 रकबा 0.42 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त है जो संलग्न नजरी नक्शे में ओरेंज रंग से दर्शायी हुई है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि के तारबंदी की हुई है। आज दिनांक तक पक्षकारान् अपने–अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारा संलग्न नजरी नक्शा वादपत्र के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की नियत में खोट आ गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने खसरा नंबर 570 में बने स्वयं के मकान को तोडकर वादी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि खसरा नंबर 571 की तरफ मकान निर्माण करना चाहते है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने दिनांक 01.05.2019 को वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 571 की तरफ पत्थर डालकर 3–4 फीट अन्दर की तरफ जबरन ताकत बल पर प्रवेश करने पर आमादा हो गये है जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को उक्त कृत्य करने से मना किया तथा प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का तहसील कार्यालय में चलकर विभाजन करवाने को कहा तब प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 वि[illegible] तैयार हो

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

गये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने विभाजन करवाने से इंकार कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि मौका पाकर हम तुम्हारे हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर घुसकर मकान बनाकर रहेगें। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है, जिसे की पक्षकारांन् के मध्य अनावश्यक विवाद न हों। वादी को वादकारण दिनांक 01.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा भूमि विवादग्रस्त का तहसील कार्यालय में चलकर विधिक विभाजन करवाने से इंकार करने व वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 571 की ओर 3–4 फीट अन्दर घुसकर मकान निर्माण करने हेतु आमादा होने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरंतर जारी है। अन्तः में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा का डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त भूमि जिनका पूर्ण विवरण वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित है, का विधिवत विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर मौजूद वास्तविक एवं भौतिक कब्जे काश्त को संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि का पृथक–पृथक खाता एवं लगान कायम किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 वादी के उपयोग व उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें। वादी के हिस्से में आई भूमि को विक्रय दान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नही करें तथा उसके संबंध में किसी प्रकार के कोई फर्जी दस्तावेज पट्टे इत्यादि तैयार नही करें। ऐसी ना तो स्वयं करें ना ही अपने एजेंट सर्वेंट, वर्कमेंन आदि से करावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 79 व खाता संख्या 199 ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर, नजरी नक्शा, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 की ओर से श्री श्याम सुन्दर एडवोकेट ने वकालतना व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की ओर से श्री राकेश कौशिक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। विचाराधीन वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष ने मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड एवं कब्जे काश्त के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष की सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवम् प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है वादी एवम् प्रतिवादीगण वाद में कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कराने हेतु सहमत है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर जब वादी एवम् प्रतिवादीगण तकासमा कराने हेतु सहमत है तो वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 221 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 542 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 543 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 544 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 548 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 549 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 550 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 551 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 552 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 566 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 568 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 569 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 570 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 571 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 574 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 576 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 577 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 578 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 579 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 595 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 596 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 718 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 719 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 720 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 31 कुल रकबा 9.22 हैक्टेयर व खसरा नंबर 586 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विधि सम्मत ''बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स'' उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक / भू0अ0 / डिक्री / 2019 / 3397 दिनांक 12.09.2019 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित कि गई जो निम्नानुसार है :–

जमाबंदी अनुसार कुर्रेजात :

खाता नं.	खातेदार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
116	प्रभातीलाल, गोपाल, ताराचन्द, बंशीलाल, पुत्रान् पांचू हिस्सा 1/3 राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बगरू मूर्तहीन मंगलाराम, नारायण हि0 1/3 राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा अशोक मार्ग सी–स्कीम जयपुर, हनुमान, दौलतराम, कन्हैयालाल, रामदयाल पुत्रान् सोन्या, मुन्नी देवी पत्नी सोन्या हि0 1/3 बराबर–बराबर जाति कुम्हार सा0देह	221	0.1000	चा 1	3.20
		517	0.1400	चा 1	4.48
		542	0.3200	बा 3	1.12
		543	0.2800	बा 3	0.98
		544	0.2200	चा 1	1.28
				जा 1	2.88
		548	0.2200	चा 3	4.07
		549	0.0500	गे.मु.चा	
		550	0.0500	चा 3	0.93
		551	0.1600	चा 3	2.96
		552	0.0900	चा 3	1.67
		563	0.4200	बा 1	2.94
		564	0.4200	बा 1	2.94
		565	0.4700	बा 1	3.29
		566	0.4800	बा 1	3.36
		567	0.4000	चा 3	7.40
		568	0.2700	चा 3	0.56
				बा 3	3.88
		569	0.0600	जा 3	0.09
				बा 3	0.93
		570	0.5800	चा 3	10.73
		571	0.7400	चा 3	18.69
		574	0.360	चा 3	6.66
		575	0.3[illegible]00	चा 3	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Ku
Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IS
Reason: SelfAttested

		576	0.1000	चा 3	1.85
		577	0.3800	बेजडा	1.33
		578	0.2300	बा 3	0.81
		579	0.3300	बा 3	1.16
		580	0.2000	बा 3	0.70
		595	0.4200	बा 1	2.94
		596	0.5000	बा 1	3.50
		718	0.2900	बा 2	1.74
		719	0.3100	बा 2	1.86
		720	0.2700	बा 2	1.62
	योग	**31**	**9.22**		**104.22**
205	प्रभातीलाल, गोपाल, ताराचन्द, बंशीलाल पुत्रान् पांचू हि0 1/3, मंगला पुत्रान् नारायण हि0 1/3, हनुमान, दौलतराम, कन्हैयालाल, रामदयाल, पुत्रान् सोन्या, मुन्नी पत्नि सोन्या हि0 1/3 जाति कुम्हार सा0देह	586	0.52	बा 1	3.64
	योग	**1**	**0.52**		**3.64**

कुर्रेजात अनुसार

	खातेदार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
1	मंगलाराम पुत्रान् नारायण जाति कुम्हार सा0देह राहिन एच.डी.एफ. सी. बैंक शाखा अशोक मार्ग सी–स्कीम जयपुर	221 मी0	0.03	चा 1	0.96
		517 मी0	0.04	चा 1	1.28
		543	0.28	बा 3	0.98
		544 मी0	0.09	जा 1	1.44
		548 मी0	0.05	चा 3	0.93
		564 मी0	0.07	बा 1	0.49
		563	0.42	बा 1	2.94
		571	0.74	चा 3	13.69
		575	0.36	चा 3	6.66
		576	0.10	चा 3	1.85
		578	0.23	बा 3	0.81
		596	0.50	बा 1	3.50
		719	0.31	बा 2	1.86
	योग	13	3.22		

अधिग्रहण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

2	प्रभातीलाल, गोपाल, ताराचन्द, बंशीलाल पुत्रान् पांचू जाति कुम्हार देह राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बगरू	221 मी0	0.03	चा 1	0.96
		517	0.04	चा 1	1.28
		544 मी0	0.06	जा 1	0.96
		548	0.17	चा 3	3.14
		550	0.05	चा 3	0.93
		552	0.09	चा 3	1.67
		564 मी0	0.0150	बा 1	0.105
		565	0.47	बा 1	3.29
		566	0.4550	बा 1	3.185
		567	0.38	चा 3	7.03
		569	0.06	जा 3	0.09
				चा 3	0.93
		577	0.38	बेजडा	1.33
		579	0.33	बा 3	1.16
		595	0.42	बा 1	2.94
		720	0.27	बा 2	1.62
	योग	15	3.22		
3	हनुमान, दौलतराम, कन्हैयालाल, रामदयाल पुत्रान् सोन्या, मुन्नी पत्नी सोन्या जाति कुम्हार सा0देह	221	0.04	चा 1	1.28
		517 मी	0.03	चा 1	0.96
		542	0.32	बा 3	1.12
		544	0.07	जा 1	1.30
		551	0.16	चा 3	2.96
		564	0.3350	बा 1	2.35
		566 मी	0.0250	बा 1	0.17
		567 मी	0.02	चा 3	0.37
				जा 3	0.56
		568	0.27	चा 3	3.88
		570	0.58	चा 3	10.73
		574	0.36	चा 3	6.66
		580	0.20	बा 3	0.70
		586	0.52	बा 1	3.64
		718	0.29	बा 2	1.74
	योग	14	3.22		
4	प्रभातीलाल, गोपाल, ताराचन्द, बंशीलाल, पुत्रान् पांचू हि0 1/3 मंगलाराम पुत्रान् नारायण हि0 1/3 हनुमान, दौलतराम,	517 मी	0.03	चा 1	
		549	0.05	गै0मु0 चाह	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

	कन्हैयालाल, रामदयाल पुत्रान् सोन्या, मुन्नी पत्नी सोन्या हि0 1/3 जाति कुम्हार सा0देह				
	योग	2	0.08		

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से आपत्ति पेश की गई जिसमें अंकित है कि जो कुर्रेजात तहसीलदार, बगरू के द्वारा भेजे गये है वह नियमानुसार एवं वास्तविक तथ्यों एवं मौके की स्थिति के अनुसार न होने से निरस्तनीय है। कुर्रेजात रिपोर्ट बनाये जाने से पहले प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को कोई सूचना नहीं दी गई केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 ने आपस में साज कर कथित कुर्रेजात तैयार करवाये है। जबकि दिनांक 02.09.2019 अथवा दिनांक 03.09.2019 को हल्का पटवारी एवं तहसीलदार मौके पर ही नहीं आये। यह तथ्य इससे भली भांति स्पष्ट है कि कुर्रेजात पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षरों के नीचे अंकित तारीख भिन्न भिन्न दिनांक की है। प्रस्तावित नक्शे में आवागमन हेतु कोई रास्ता की भूमि जाहिर नहीं की गयी है एव ना ही नक्शे में दर्शायी गयी है जिससे पक्षकारों के मध्य विवाद की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति को नजरअंदाज कर, जो कुर्रेजात रिपोर्ट भेजी गयी है, वह कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। राजस्व मण्डल द्वारा जो नियम बनाये गये है उनके नियम संख्या 18 की पूर्ण रूप से अवहेलना की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को कोई सूचना ना देकर जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को भिन्न भिन्न स्थानों पर छोटे छोटे टुकडों में भूमि दिया जाना दर्शाया गया है जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 को अधिकांश रूप से एक स्थान पर भूमि दिया जाना दर्शाया है, जो कानूनन गलत है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रस्तावित कुर्रेजात निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

वादी/अप्रार्थी की ओर से जवाब कुर्रेजात आपत्ति पेश किया गया जिसमें अंकित है कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट निमयानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसार भेजे गये है। कुर्रेजात रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व मौके पर उपस्थित होने बाबत् नोटिस सभी सहकाश्तकारान को प्रेषित किया गया तथा मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट नियमानुसार विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में कुर्रेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट तैयार की गई है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार के भू–अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर होना गलत अंकित किया है। बल्कि भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने हस्ताक्षर के हस्ताक्षर है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने हस्ताक्षर के नीचे तारीख दिनांक 03.09.2019 अंकित कर देने से यह नही माना जा सकता हल्का पटवारी व तहसीलदार मौके पर नही आये। विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 578, 576, 575, 548, 551 के लगवा अन्य खसरा नंबर 547 रकबा 0.18 हैक्टेयर जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जिसमें से वादी एवं प्रतिवादीगण को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने उक्त मद में यह गलत अंकित किया है कि पक्षकारान् को आवागमन हेतु कोई रास्ता प्रस्तावित नक्शे में जाहिर नही करने से पक्षकारों के मध्य विवाद की पूर्ण संभावना है, जो भूमि रास्ते के लगवा है उक्त भूमि सभी सहकाश्तकारान् को रास्ते के लगवा भूमि दी गई है। उक्त के अलावा जिसके बाबत् प्रस्तावित नक्शे में जिन जिन खसरा नंबरान पर आवागमन वर्तमान में उपलब्ध है उसमें से पक्षकारान आने जाने का रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है। जिन खसरा नंबरान के लगवा कोई रेकार्डेड रास्ता नही है, वहां नक्शे में रास्ता की भूमि जाहिर हरने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इस प्रकार प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट विधिक है जिसके आधार पर अंतिम डिक्री पारी किया जाना आवश्यक है। कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार की गई है। किसी भी नियम की अवहेलना नही की गई है कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने की सूचना हल्का पटवारी द्वारा जरिये नोटिस पक्षकारान् को दी गई थी।

दौराने कार्यवाही प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् विवादित आराजीयात में रास्ते के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब फरमाये जाने हेतु पेश किया गया। वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वंय उपस्थित होकर मौका निरीक्षण हेतु आदेश पारित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक दिनांक 14.03.2020 को उभयपक्ष व पटवारी हल्का की उपस्थिति में विवादित आराजीयात का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट का मय कुर्रेजात व पत्रावली अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थी/प्रतिवादी [illegible] की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक–दूसरे के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा व बेदखल नहीं करें। साथ ही उभयपक्ष एक–दूसरे को अपनी–अपनी भूमि पर कृषि कार्य हेतु आवागमन में बाधा व अवरोध कारित नही करें। इस आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.09.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

मंगलाराम **बनाम** हनुमान वगै.

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/23

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक–दूसरे के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा व बेदखल नहीं करें। साथ ही उभयपक्ष एक–दूसरे को अपनी–अपनी भूमि पर कृषि कार्य हेतु आवागमन में बाधा व अवरोध कारित नही करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... फीसदी .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... का सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.09.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:55:31 IST
Reason: SelfAttested